स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 70 दिनांकः 06–03–2024

दिनांक 18–02–2024 को आयोजित उ0प्र0 पुलिस भर्ती परीक्षा की द्वितीय पाली का पेपर लीक कराने वाले गिरोह के 06 सदस्य पेपर व उत्तर कुंजी सहित गिरफ्तार।

दिनांक 05–03–2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को 18 फरवरी 2024 को उ0प्र0 पुलिस भर्ती परीक्षा की द्वितीय पाली का पेपर लीक कराने वाले गिरोह के 06 सदस्यों को पेपर व उत्तर कुंजी सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1. दीप उर्फ दीपक पुत्र दिनेश निवासी दोपहिया रोड पठानपुरा थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ।
2. बिटटू पुत्र दयाराम निवासी ग्राम अलीपुर थाना सरधना जनपद मेरठ।
3. प्रवीण पुत्र ओमपाल निवासी नंगला ताशी थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ।
4. रोहित उर्फ ललित पुत्र बिनोद कुमार नि0 म0नं0 237 गोलाबढ थाना टीपी नगर मेरठ।
5. नवीन कुमार पुत्र सलेखचन्द नि0 शोभापुर थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ।
6. साहिल पुत्र अमरनाथ नि0 शोभापुर थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ।

बरामदगीः

1. 08 अदद मोबाईल फोन
2. 01 अदद प्रश्न–पत्र (दि0 18.02.2024 को आयोजित उ0प्र0 पुलिस भर्ती परीक्षा का द्वितीय पाली)
3. 01 अदद उत्तर कुंजी (दि0 18.02.24 को आयोजित उ0प्र0 पुलिस भर्ती परीक्षा का द्वितीय पाली)

गिरफ्तारी का स्थान व समय–

स्थानः–मकान दीपू उर्फ दीपक दोपहिया रोड पठानपुरा थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ दिनांक 05–03–2024 समयः 22.15 बजे।

दिनांक 17/18–02–2024 को आयोजित उ0प्र0 पुलिस भर्ती परीक्षा में हुए पेपर लीक करने वाले गिरोहो के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 संजय कुमार, हे0कां0 रकम सिंह, हे0कां0 प्रदीप धनकड, हे0कां0 आकाशदीप, हे0कां0 भूपेन्द्र सिंह एंव हे0कां0 रोमिश तोमर की टीम अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि उ0प्र0 पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर आउट कराने वाले गिरोह का सदस्य दीपू उर्फ दीपक पुत्र दिनेश निवासी दोपहिया रोड पठानपुरा थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ के मकान में पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त हो जाने के कारण पेपर आउट कराने में हुए खर्चे को लेकर विचार–विमर्श चल रहा है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए एसटीएफ मेरठ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅचकर 06 व्यक्तियों को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने संक्षिप्त पूछताछ में बताया कि दिनांक 18–02–2024 को आयोजित उ0प्र0 पुलिस भर्ती परीक्षा की द्वितीय पाली का प्रश्न–पत्र व उत्तर कुंजी दिनांक 17–02–2024 को साहिल के मोबाईल पर जरिये व्हाट्सअप पर आया था। जिसे मोनू पुत्र अज्ञात नि0 दायमपुर थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ द्वारा भेजा गया था। साहिल उपरोक्त ने दिनांक 17–02–2024 को ही वह प्रश्न–पत्र एवं उत्तर कुंजी व्हाट्सएप के माध्यम से नवीन पुत्र सलेखचन्द नि0 शोभापुर को भेजा था। नवीन ने अपने मोबाईल फोन से बिटटू को तथा बिटटू उपरोक्त ने दिनांक 18–02–2024 को दोपहर 12.31 बजे व्हाट्सएप से प्रवीण उपरोक्त को भेजा था। प्रवीण ने डब्बू पुत्र रामसिंह नि0 नंगला ताशी थाना कंकरखेडा को भेजा था।

सामूहिक पूछताछ एवं छानबीन से यह तथ्य प्रकाश में आये–

- दिनांक 18.02.2024 को आयोजित उ0प्र0 पुलिस भर्ती परीक्षा की द्वितीय पाली का प्रश्न–पत्र व उत्तर कुंजी दिनांक 17.02.2024 को हरियाणा के रहने वाले किसी व्यक्ति ने प्रवेश प्रधान निवासी चांदना थाना सरधना जनपद मेरठ हाल निवासी कंकरखेडा मेरठ, गुलजार निवासी खडौली थाना कंकरखेडा मेरठ, आसिफ निवासी कल्याणपुर थाना रोहटा मेरठ एंव गौरव निवासी आलमगीरपुर थाना रोहटा मेरठ को उपलब्ध कराया था।
- प्रवेश प्रधान, गुलजार, आसिफ एवं गौरव ने उक्त प्रश्न–पत्र एवं उत्तर कुंजी रोहित उर्फ ललित उपरोक्त को प्राप्त करायी थी।
- रोहित उर्फ ललित उपरोक्त ने यह प्रश्न–पत्र एवं उत्तर कुंजी दीपू उर्फ दीपक को प्राप्त करायी थी।
- दीपू उर्फ दीपक, बिटटू सिंह, प्रवेश प्रधान, आसिफ, मोनू एवं गुलजार भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट कराने का ठेका लेते हैं।
- दीपू उर्फ दीपक एंव उसके सहयोगियों को भर्ती परीक्षाओं के पेपर व उत्तर कुंजी हरियाणा के रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं।
- प्रवीण, रोहित उर्फ ललित, नवीन कुमार, साहिल, डब्बू एंव गौरव अभ्यर्थी उपलब्ध कराते हैं।
- यह लोग प्रत्येक अभ्यर्थी से 8 से 10 लाख रूपये उक्त कार्य हेतु प्राप्त करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ में मु0अ0सं0 166/2024 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि व 3/4/7/8/9 सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधि0 पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।